DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 7 फरवरी 2024

PAPERS----------DATED----------

नरेला में फ्लैट खरीदने पर मिलेगा 15 पर्सेंट डिस्काउंट

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

नरेला सेक्टर ए1-ए4 में एमआईजी फ्लैट खरीदने वाले लोगों को 15 प्रतिशत, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों को 25 प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा। यहां डीडीए के 440 फ्लैट्स हैं। डीडीए ने बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ स्कीम का हिस्सा हैं। यह सेक्टर जीटी करनाल रोड, अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 से सीधा जुड़ा है। मेट्रो कॉरिडोर भी यहां प्रस्तावित है।

डीडीए की अथॉरिटी मीटिंग 5 फरवरी को एलजी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें नरेला डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम ई-ऑक्शन के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई। इसमें दोनों फेज के बचे फ्लैट्स को लाया जाएगा। इसके अलावा नरेला सब सिटी में एजुकेशन हब बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गाजीपुर, औचंदी, जंगपुरा में पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन के लैंड यूज में बदलाव किया गया है। इसके अलावा रोहिणी-4 और 5, टिकरी कलां के लिए 2023-24 के रेट को मंजूरी प्रदान की गई है। ग्राम सभा एरिया फंड को दिल्ली ग्रामोदय अभियान के लिए इस्तेमाल करने को भी मंजूरी दी गई है। नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए रीडिवेलपमेंट के लिए टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। अब इंडस्ट्रीज को नॉन कन्फर्मिंग एरिया में नोटिफाइड इंडस्ट्री क्लस्टर के लिए लेआउट प्लान सब्मिट करवाने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिए जाने के प्रस्ताव को पास किया गया है। मास्टर प्लान 2021 के अनुसार यह पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक पूरा होना है।

सील हो चुकी प्रॉपर्टी में अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट नाराज़

■ पिस, नई दिल्ली: हाई कोर्ट ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक इमारत के पास अवैध निर्माण पर हैरानी जताई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अगुवाई वाली डिविजन बेंच ने कहा, 'यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि 'दिल्ली के दिल' में ऐसा हो रहा है। इस पर यकीन करना मुश्किल है। मैंने कभी किसी सील प्रॉपर्टी में ऐसा होते हुए नहीं देखा।' हाई कोर्ट एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था, जहां पहले से सील एक गेस्ट हाउस की ऊपरी मंजिलों पर अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं। यह गेस्ट हाउस निज़ामुद्दीन के स्मारकों के पास डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। कोर्ट ने बिल्डिंग के मालिक को अपने सामने हाजिर होने का निर्देश दिया।

रोहिणी : कई साल से नहीं बनी ये सड़क

■ एनबीटी न्यूज, रोहिणी : रोहिणी सेक्टर 30 पॉकेट C2 की इंटरनल सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से डीडीए की तरफ से यहां की सड़क को नहीं बनाया गया। इसकी वजह से न सिर्फ यहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि यहां से आने जाने वाले लोगों को भी बेहद कठिनाई होती है। इसको लेकर स्थानीय RWA की ओर से पहले भी शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक इस ओर कोई एक्शन नहीं हो सका है। वही, लोगों का आरोप है कि यहां पिछले एक हफ्ते से टाटा पावर की तरफ से अंडरग्राउंड केबल डालने का भी काम भी शुरू किया गया है। इसकी वजह से मुख्य सड़क समेत अन्य सड़कों को खोद दिया गया है। ऐसे में बारिश होने के बाद सड़क की हालत बेहद डैमेज हो गई है। स्थानीय आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्णवाल ने बताया कि इस एरिया को डीडीए के ओर से डिवेलप किए जाते समय ही करीब 15- 20 साल पहले ही सड़क बनाई गई थी। उसके बाद से सड़क की मरम्मत भी नहीं की गई है। अब टाटा पावर की तरफ से सड़क को खोदा जा रहा है। ऐसे में लोगों की मांग है कि टाटा पावर इस इलाके में केबल डालने के काम को जल्द से जल्द पूरा करे।

सेक्टर-30 के पॉकेट C2 की सड़क है काफी जर्जर

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2024 ED----------

ग्रामोदय अभियान में होगा ग्रामसभा निधि का उपयोग

उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड की बैठक में दी गई स्वीकृति, कई फैसलों पर लगी मुहर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत शहरीकृत गांवों और नए शहरी क्षेत्रों के लिए ग्रामसभा क्षेत्र निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देश तय कर दिए गए हैं। राजनिवास में एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम तक चली दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई। विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही सड़क चौड़ीकरण जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और भूमि अधिग्रहण के लिए भी इस निधि का उपयोग किया जा सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्व विभाग की ओर से डीडीए को ग्रामसभा क्षेत्र निधि के तहत 959.89 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

बोर्ड बैठक में डीडीए ने सरकारी और स्थानीय निकायों को आवंटित संस्थागत भूमि एवं भूखंडों के संबंध में दो वित्तीय वर्षों 2022- 24 की ब्लाक अवधि के लिए भूमि के प्रीमियम की दरों में संशोधन के एजेंडे को मंजूरी दी हैं। इसके साथ ही नरेला उप-नगरी को विकसित करने के लिए आवास योजनाओं के संदर्भ में कई निर्णय लिए गए। डीडीए ने आरएफआइडी की स्थापना के लिए गाजीपुर में इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन निर्माण के लिए औचंदी गांव में, आरआरटीएस स्थापना के लिए जंगपुरा में सार्वजनिक हित के लिए भू उपयोग में बदलाव के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी। डीडीए की ओर से रोहिणी चरण चार और पांच, टिकरी कलां और नरेला के लिए 2023-24 की पूर्व-निर्धारित दरों को मंजूरी दी गई। बोर्ड बैठक में डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा, अन्य वरिष्ठ सदस्य और अधिकारी भी उपस्थित रहे।

इन विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा निधि का उपयोग: इस निधि का उपयोग सड़कों के निर्माण, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, तालाबों और जल निकायों के विकास एवं रखरखाव, पार्क, खेल के मैदान, शौचालय, सामुदायिक भवन, श्मशान घाट या कब्रिस्तान के निर्माण, खेल सुविधाएं, पुस्तकालय, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था, मवेशियों की देखभाल इत्यादि के लिए किया जा सकेगा।

वी के सक्सेना •

निधि के उपयोग की गाइडलाइंस

- दिल्ली ग्राम विकास एवं कल्याण समिति स्थानीय प्रतिनिधियों, ग्रामीणों, एजेंसियों के परामर्श से कार्यों व योजनाओं की पहचान करेगी
- सीई (मुख्यालय), डीडीए के तहत परियोजना मूल्यांकन समिति प्रस्तावों की जांच करेगी
- परियोजनाओं के दोहराव से बचने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा
- एजेंसियों की ओर से निविदा दस्तावेज में कड़े प्राविधान होंगे

बोर्ड बैठक में लिए गए अन्य निर्णय

- दिवाली विशेष आवास योजना 2023 के लिए सेक्टर-19 बी और सेक्टर-14 द्वारका के बचे हुए फ्लैटों के लिए ई- नीलामी का एक और राउंड किया जाएगा
- लोकनायकपुरम के एमआइजी फ्लैटों को पहले आओ, पहले पाओ के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया
- पहले आओ, पहले पाओ योजना में नरेला सेक्टर- ए1-ए4 में 440 से अधिक फ्लैट पर आमजन को 15 प्रतिशत और सरकारी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत छूट मिलेगी
- डीडीए ने गैर सरकारी कानूनी एंटिटी की भागीदारी को निर्मित संपत्तियों को अधिक मात्रा में खरीदने के लिए अनुमति दी है। एनसीआर में कोई भी निजी एंटिटी अथवा कैंपस का अपना पंजीकृत कार्यालय हो, आवासीय स्टाफ क्वार्टरों, हास्टल आदि के रूप में उपयोग करने हेतु अधिक मात्रा में डीडीए के आवासीय फ्लैटों को खरीदा जा सकता है
- वर्ष 2016 में रामगढ़ कालोनी में एलआइजी फ्लैट तैयार कर लिए गए थे। जिसमें भूतल पर दो व्हीलवेयर पार्किंग सहित चार मंजिला आवास थे। यह डीएमआरसी के जहांगीर मेंट्रो स्टेशन व बस स्टाप से अच्छी तरह से कनेक्ट हैं। मुख्य सड़क मुकरबा चौक और आजादपुर से कनेक्ट हो रही है जो पैदल दूरी पर हैं। इन फ्लैटों का प्लिंथ एरिया 31.9-35.34 वर्ग मीटर और कारपेट एरिया 19.580 वर्ग मीटर है। इन फ्लैटों को पिछली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में आफर की गई कीमत की 15 प्रतिशत छूट पर लगभग 14 लाख रुपये की किफायती कीमत पर पेश करने का प्रस्ताव है
- ई-नीलामी के फेज तीन के जरिये चल रही दिवाली विशेष आवास योजना में द्वारका में लगभग 220 फ्लैटों का निपटान किए जाने के निर्णय से दिल्ली में एक प्रीमियम फ्लैट लेने का अवसर दिया जाएगा
- एमपीडी-2021 के अनुसार पुनर्विकास के लिए गैर-अनुरूप क्षेत्रों में कार्यरत अधिसूचित औद्योगिक समूहों के मालिकों को एक बड़ी राहत प्रदान करने के लिए डीडीए ने गैर-अनुरूप क्षेत्रों में अधिसूचित औद्योगिक समूहों के लिए लेआउट योजना तैयार करने व स्थानीय निकायों को इसे 30 जून 2022 से 31 मई 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) को आवंटित पाकेट-तीन, राउज एवेन्यू, डीडीयू मार्ग में 868 वर्गमीटर क्षेत्र के भूमि उपयोग का 'आवासीय' से 'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं' में बदलने की मंजूरी दी गई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2024 ----------DATED

Buy flats in bulk, get discounts: DDA's new offering to woo potential buyers

UPASIKA SINGHAL
NEW DELHI, FEBRUARY 6

IN A bid to woo potential buyers, the Delhi Development Authority is now offering its Middle Income Group (MIG) flats in Narela's Sector A1 to A4 at a discounted rate.

According to officials, the general public can avail of a 15% discount, whereas employees of central government, state government, and government autonomous bodies will be offered a 25% discount on these flats.

"Sector A1-A4 is well connected with its proximity to the GT Karnal Road, Urban Extension Road-II and the proposed Metro line. This incentive scheme will enable the middle class as well as government employees to fulfill their dreams of owning a decent-sized flat in Delhi," DDA officials said.

The discount offer is for flats in Narela's Sector A1-A4. *Archive*

After a meeting, the DDA also announced that it will now allow non-governmental legal entities to purchase its properties in bulk. This means that any private entity with a registered office in Delhi-NCR can purchase flats in bulk to be used as residential staff quarters or hostels, officials said. The DDA, in a statement, said such a policy will enable the growth and development of private, industrial, educational and other sectors in upcoming areas like Narela.

Meanwhile, 246 Lower Income Group (LIG) flats in Ramgarh Colony will be offered at a 15% lower price -- ranging between Rs 14 lakh and Rs 15 lakh - under the First Come First Serve (FCFS) programme of the Diwali Special Housing Scheme 2023. The LIG flats had earlier been offered under the Special Housing Scheme 2021.

The meeting was chaired by L-G V K Saxena, who is also the chairman of the DDA.

Hindustan Times

DDA REOPENS E-AUCTION FOR HOUSING SCHEME

Sanjeev K Jha
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) on Tuesday announced another round of e-auctions of flats offered in last year's Diwali Special Housing Scheme, officials aware of the matter said.

Last year, DDA offered 2,093 flats in Dwarka and Narela in the scheme, of which 744 flats were booked and EMDs (Earnest Money Deposit) were received against 812 flats. Now, another round of e-auction has been approved for the remaining flats in Dwarka's Sectors 14 and 19B.

In a meeting at DDA headquarters headed by lieutenant governor VK Saxena, DDA also approved proposals on change of land use in public interest in Ghazipur to set up an RFID and for building an electrical sub-station for RRTS installations.

हिन्दुस्तान

दूसरी मस्जिद में छात्रों की पढ़ाई शुरू

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली के महरौली में करीब 45 वर्ष पुरानी अखूंदजी मस्जिद को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद मस्जिद में पढ़ने वाले 25 छात्रों की पढ़ाई बाधित हो गई थी।

अब मंगलवार को महरौली में ही कुछ दूर स्थित कलां महल मस्जिद में फिर से छात्रों की मदरसे और अन्य विषयों की पढ़ाई शुरू हो गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान 25 छात्रों में से 6 वापस अपने शहर लौट गए थे। हालांकि, इन्हें पढ़ाने

■ 45 साल से महरौली में स्थित पुरानी मस्जिद डीडीए ने ध्वस्त कर दी थी

वाले शिक्षक ने बताया कि सभी छात्र जल्द ही वापस लौट आएंगे।

कलां महल मस्जिद में इमाम जाकिर हुसैन ने मंगलवार सुबह 6 से 10:30 बजे तक 19 छात्रों की मदरसे की पढ़ाई फिर से शुरुआत की। बाकी विषयों की पढ़ाई शिक्षक मुजम्मिल सलमानी ने शुरू की।

शिक्षक मुजम्मिल ने बताया कि 19 छात्रों में से 9 छात्र अनाथ हैं। सभी छात्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा के मेवात जैसी जगहों से आकर मदरसे और आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। 10 छात्रों के अभिभावकों की अनुमति से उन्हें शिक्षा दी जा रही है।

एनजीओ के सहयोग से स्कूल बैग खेल के उपकरण वितरित **किए :** शिक्षक मुजम्मिल ने बताया कि विभिन्न एनजीओ और लोगों के सहयोग से बीते तीन दिनों के दौरान सभी छात्रों को स्कूल बैग, बैडमिंटन और अन्य खेल के उपकरण वितरित किए गए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI * WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2024

EWS Component Of City's First TOD Hub By Feb-End

Comprises 498 Flats And 22 floors With Basement Parking

Photos: Rajesh Mehta

AIMING HIGH

CITY'S FIRST INTEGRATED DEVELOPMENT PROJECT

East Delhi TOD hub, Karkardooma

About the project | DDA's flagship, highrise residential complexes (including EWS flats), commercial and office spaces, public utilities with access to multimodal public transport facilities to optimise use and decongest the city

Work Started in **Sept 2021**

In hectares

Development area	Green area
25.5	7.8 (30.7%)

Phase I | 1,11,230 sqm FAR

- **90% work completed on 498 EWS flats, targeted deadline Feb 28, 2024** | To have one basement + ground floor + 22 floors
- **23% work completed on Residential Trapezium tower with 450 flats (2 BHK large)** | To have two basements + ground + 47 floors
- **35% work completed on RH-02 tower with 576 flats (2 BHK small)** | To have two basements + ground + 34 floors
- Work on community hall and dispensary completed, banquet hall in progress; June 30, 2024, deadline
- Work in progress on internal roads, stormwater drains, water supply distribution networks, rain water harvesting system, underground tanks, horticulture and landscaping

Project Cost ₹1,168.5 cr

Deadlines

For buildings March 2025

External development Sept 2026

Estimated parking space in Phase I 1,540

PHASE II

Eight facilities proposed | Dispensary, two shopping places, secondary school, cultural centre, community hall, religious place, banquet hall, maintenance offices, civil facilities

- 4,994 residential flats are proposed under the plan in EWS 2BHK categories

FEATURES

- First project on TOD norms
- Tallest residential tower with 47 floors
- Green building features
- Precast autoclaved aerated concrete blocks used
- Zero wastage of water
- Sewer treatment plant of 6 million litres per day capacity under construction
- Basements provided, surface parking reduced
- Creche, dispensaries, cricket or multipurpose field, open gym, proposed skywalk
- Two metro stations part of layout, connectivity of metro's concourse level with commercial complex

Vibha.Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: The city's first integrated transit-oriented development (TOD) hub at Karkardooma will have its economically weaker section housing component ready by Feb 28. This comprises 498 flats plus 22 floors with basement parking.

TOI saw finishing work, such as installation of lifts, laying of cables and tiling of common areas, under way in the complex on a visit. "The construction work of flats has finished and we are busy with the external development of the complex," said an official of the National Buildings Construction Corporation. "We are working on an approach road to the EWS tower, while sewer connectivity will be provided soon. DDA is getting the power supply done through BSES Yamuna Private Limited." NBCC is the implementing agency for the project.

From February end, DDA will publicise the project before initiating the allotment process for the general public.

Lieutenant governor VK Saxena recently reviewed the progress of the project. "The Karkardooma ToD project has the potential of not only changing the skyline of east Delhi, but also bringing about unprecedented socio-economic changes in the area. The hub aims at seamless interplay of residential and commercial development in an extremely inclusive manner with EWS provisioning," said Saxena.

After a meeting with DDA officials in Feb last year, the LG said that effort would be made to complete phase I of the project by March this year. An official explained, "Work kept getting interrupted by regular bans on construction, Covid pandemic and restrictions on working hours due to the extreme cold weather."

Besides the EWS tower, there is the Residential Trapezium (RH) complex with 450 2BHK flats on 47 floors with two basements. Around 23% of the work is finished. At the RH02 complex of smaller houses, there are six towers with 10 floors each and three with 33 floors, for an overall 576 2BHK flats. "Here, 35% of the work is completed and we are targeting March next year to finish everything," said an official. The basement parking will have space for around 1,540 cars in phase I, under which DDA hopes to have 1,524 flats ready by March 2025.

Overall, the ToD will have 6,518 residential flats, including 1,992 EWS residences. The cost of the entire project is Rs1,168.5 crore.

Commuting will be easy because of the connection to Karkardooma metro station, which has an interchange facility between the Blue Line (Vaishali to Dwarka) and Pink line (Shiv Vihar to Majlis Park).

A highlight of the project is the 30% green space with provisions for a cricket or multipurpose field, open gym and an exclusive open area for residents. The buildings are green, having been built with precast autoclaved aerated concrete blocks instead of clay bricks. "To ensure zero wastage of water, a dual flushing system and the sewer treatment plant with a capacity to handle 6 million litres per day is being installed. There is rainwater harvesting and solar energy will be tapped," said an official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

* THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2024

Dumping Of Waste In Rivers: Panel Wants Penal Provisions

Asks All Stakeholders To Ensure Safe Operation Of ITO Barrage

Vishwa.Mohan
@timesgroup.com

New Delhi: A parliamentary panel has recommended penal provisions against dumping of waste in rivers, including Yamuna, and asked govt to proactively engage all stakeholders for ensuring the safe operation of the ITO barrage so that Delhi does not again become victim of floodings as witnessed in July last year.

The panel — standing committee on water resources — that reviewed cleaning projects of Upper Yamuna river and riverbed management in Delhi submitted its report in Parliament on Tuesday. River Yamuna enters the capital at Palla from Haryana and exits the city to enter Uttar Pradesh at Asgarpur, which is approximately a 40-km stretch.

Noting that dumping of waste into Yamuna has not only impacted its ecological flow but also disfigured the beautiful landscapes around the river sites, the panel asked the department of water resources to prepare guidelines/rules to prevent such acts.

File photo

HOPING TO AVOID A REPEAT AT ITO BARRAGE

"Violation of these rules should attract penal provisions in order to avoid waste dumping in the rivers including Yamuna," said the panel, chaired by BJP Lok Sabha member Parbatbhai Savabhai Patel.

It noted that though the Delhi Development Authority (DDA) has taken a number of steps such as deployment of security guards, installation of surveillance and issuing challans to prevent dumping, those actions did not prove to be effective deterrents. It said the number of challans has increased from one in the year 2018 to 610 in the year 2021, indicating the rise in instances of dumping of debris into the river Yamuna.

"...dumping of waste, construction material, and bio-medical waste have the potential to obstruct the natural flow of water during intense precipitation and water may accumulate where it is not required and thus may result in flash flood," said the report.

During review of the river Yamuna cleaning project, the panel took into account the excessive presence of heavy metals like lead, copper, zinc, nickel, cadmium and chromium in the riverbed, and also asked to explore ways including providing financial assistance to the states to establish electric and CNG furnaces in crematoriums along the river to reduce pollution in Yamuna.

"Besides, the department with the concerned Yamuna basin states need to find ways to discourage rituals on the pyres built on the banks of Yamuna and if possible shift the cremation sites away from the immediate periphery of the banks of Yamuna in order to prevent contamination of river water," it said.

In view of huge flooding in Delhi in July last year, the committee undertook a field visit to the ITO barrage and noted that the main cause of non-functioning of these gates is "heavy silting in and around the gates and poor maintenance of hydro-mechanical equipment".

Flagging its concerns, the panel urged the department to mediate in the matter (between Delhi and Haryana) and play the role of an "honest broker" in resolving this contentious issue by pro-actively engaging all stakeholders.

DDA plans to turn Narela sub-city into an edu hub

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) in a meeting has taken decisions regarding the amendment in DDA (Management and Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968, to develop the Narela sub-city as an educational hub. It also took a decision on the e-auction of the remaining flats in Phase II of the Diwali special housing Scheme, as well as changing land use in Ghazipur, Auchandi and Jangpura for enhancing public infrastructure and approving guidelines for utilisation of Gaon Sabha Area Funds for the Dilli Gramodaya Abhiyan.

Furthermore, extension in timelines was provided for 23 non-conforming industrial clusters for submission of re-development plans till May 2024. The authority also sanctioned pre-determined rates for 2023-24 of Rohini Phase IV & V, Tikri Kalan and Narela. The meeting was chaired by lieutenant governor and DDA chairman VK Saxena.

The e-auction mode of the Diwali special Housing scheme 2023 was launched on Nov 30, 2023, and closed on Dec 29, 2023. "Out of 2,093 flats on offer, 3,078 earnest money deposits (EMD is the amount submitted for allotment of flats) were received. The authority approved that for the left-out flats of Sector 19B and 14, Dwarka, another round of e-auction would be carried out soon. The MIG flats at Lok Nayak Puram will be offered through first-come, first-serve mode," the authority said.

Regarding MIG flats at Narela Sector A1-A4, it was decided to offer them at discount. "A discount of 15% to the general public and a discount of 25% to employees of central, state government, autonomous bodies would be offered as an incentive for more than 440 flats in these sectors," the authority said. The LIG flats at Ramgarh Colony will be offered at a 15% discounted price on a first-come, first-serve basis.

DDA also approved change of land use of 7,205 sqm from "recreational" to "transportation", for construction of five lane toll plazas (RFID system) at Ghazipur. Another plot in Auchandi will be changed from "agriculture" to "utility" for a 400 KV electric substation. A 13.4-hectare plot has been approved for change from "industrial" to "transportation" at Jangpura for RRTS installations, an NCRTC office, and staff quarters.

For implementing the Dilli Gramodaya Abhiyan by utilising Rs 960 crore, draft guidelines were prepared by DDA.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला | बुधवार, 7 फरवरी 2024 ----------DATED----------

यमुना में कचरा डालने वालों को दंडित करें

संसदीय समिति ने नदी में कचरा और मलबा डालने पर लोकसभा में रखी रिपोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। एक संसदीय समिति ने सिफारिश दी है कि यमुना में कचरा डालने वालों को दंड का कानूनी प्रावधान होना चाहिए। अन्य नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए भी ऐसी ही सख्ती होनी चाहिए। समिति ने यमुना को बेहद बुरे हालात में बताते हुए अपनी सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट 'यमुना नदी की सफाई परियोजना की दिल्ली तक समीक्षा और दिल्ली में नदी क्षेत्र का प्रबंधन' मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत की।

जल संसाधन स्थायी समिति ने अपनी इस 27वीं रिपोर्ट में कहा कि निर्माण व विध्वंस से निकला मलबा और बायोमेडिकल कचरा यमुना में डाला जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यहां सुरक्षाकर्मी, कैमरे आदि लगाए हैं, चालान बनाए जा रहे हैं। 2018 में महज 1 तो 2021 में 610 चालान बने। यह बताता है कि नदी में कचरा व मलबा डालने के मामले तेजी से बढ़े हैं। इनसे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बिगड़ रहा है।

यमुना से दूर करवाएं शवदाह... यमुना किनारे शवदाह को समिति ने बड़ा मुद्दा बताया। कहा, इससे नदी में प्रदूषण का कोई अध्ययन नहीं हुआ है। समिति ने राज्यों को बिजली और सीएनजी शवदाह बनाने के लिए वित्तीय सहयोग देने की सिफारिश की। यमुना किनारे शवदाह की परंपरा रोकने के लिए रास्ते निकालने को कहा। जरूरी होने पर शवदाह स्थलों को नदी के किनारों से दूर स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई।

तीन भागों में बांटी यमुना, दिल्ली में सबसे प्रदूषित...समिति ने बताया कि स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) के तहत यमुना को 3 भागों में बांटा गया है। उद्गम यमुनोत्री से हथिनी कुंड बैराज तक का नदी का हिस्सा प्रदूषित नहीं है। हथिनी कुंड बैराज से पल्ला गांव तक नदी मध्यम स्तर पर प्रदूषित है। वहीं पल्ला से ओखला तक तीसरा हिस्सा अत्यधिक प्रदूषित है। यही तीसरा हिस्सा दिल्ली से गुजरता है। पल्ला के निकट दिल्ली में प्रवेश करने के बाद यमुना यूपी में असगरपुर में निकलने तक दिल्ली में 40 किमी बहती है। समिति ने बताया कि 31 अगस्त 2023 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 34 एसटीपी परियोजनाएं आवंटित हुई थीं। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश और दो हरियाणा को मिले थे, जो पूरे हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली को मिले 1,268 एमएलडी क्षमता के 11 में से 6 एसटीपी ही बने। उनकी क्षमता 704 एमएलडी है। यूपी में भी 20 में से 6 एसटीपी ही बने। यहां 694.09 क्षमता के मुकाबले 130.25 एमएलडी की क्षमता ही हासिल हुई। देरी की वजह सड़क व रेलवे क्रॉसिंग की अनुमति से लेकर राज्य स्तर पर समन्वय में कमी तक शामिल है। सिफारिश में कहा कि दिल्ली व यूपी में नदी की सफाई की परियोजनाएं तेजी से चलानी चाहिए ताकि लागत व समय सीमा न बढ़े।

पूरा सीवेज ट्रीटमेंट हो तो 'यमुना का झाग' हटे : समिति ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली व यूपी से यमुना में गिराए जा रहे पानी से प्रदूषण बढ़ रहा है। पूरे सीवेज ट्रीटमेंट से ही नदी में झाग और फेन बनना बंद होगा। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली में ओखला बैराज, आईटीओ ब्रिज, कालिंदी कुंज आदि जगहों पर झाग देखने को मिलता है। वहीं ओखला बैराज के लिए कहा कि यूपी का सिंचाई विभाग इसकी देखभाल करता है। यहां से होने वाला बिना ट्रीट किए गंदे पानी का तेज बहाव झाग बनाता है। इसमें पानी कपड़े धोने के डिटर्जेंट और फॉस्फेट में शामिल सर्फेक्टेंट की भारी मात्रा होती है। ओखला बैराज पर जमा पानी में काफी जलकुंभी भी होती है। इससे झाग की मात्रा बढ़ जाती है।

उर्वरक-कीटनाशकों से प्रदूषण का 5 साल से मूल्यांकन नहीं

समिति ने कहा कि सीपीसीबी खुद मानता है कि दिल्ली में यमुना जल नहाने लायक भी नहीं है, फिर भी उसने खेती के लिए उर्वरकों से हो रहे प्रदूषण पर पिछले 5 साल में कोई मूल्यांकन नहीं कराया। उर्वरक व कीटनाशक सेहत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। समिति ने निर्देश दिए कि जल शक्ति व कृषि मंत्रालय और किसानों के साथ मिलकर इसका समाधान निकाला जाए। नदी किनारों पर जैविक खेती को बढ़ावा दें, किसानों को इसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाए।

यमुना से कितने अतिक्रमण हटाए तीन महीने में रिपोर्ट दें

समिति ने बताया कि दिल्ली और हरियाणा ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र व वेटलैंड से अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने नहीं। उन्हें रिपोर्ट जारी होने की तारीख से अगले 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

खेती में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दें : यह भी कहा कि हथिनी कुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी सिंचाई के भी काम आ रहा है। इससे वजीराबाद बैराज में मानसून के अलावा बाकी महीनों में बेहद कम पानी हो जाता है। भूजल भी सूखता है। इसका समाधान किसानों के बीच ड्रिप से सिंचाई को बढ़ावा देकर निकाला जा सकता है। मानसून में पानी की भारी आवक को भी स्टोर करने के रास्ते निकालने होंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI 7 फरवरी, 2024 EWSPAPERS----------DATED----------

दिल्ली ग्रामोदय अभियान में ग्रामसभा निधि का उपयोग करने के लिए निर्देश तय

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत शहरीकृत गांवों/नए शहरी क्षेत्रों के के लिए ग्रामसभा क्षेत्र निधि के उपयोग को लेकर दिशानिर्देश तय कर दिए गए हैं। राजनिवास में एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में देर शाम तक चली दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बोर्ड बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई। इस निधि का उपयोग सड़कों के निर्माण, ठोस और तरल कचास प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, तालाबों और जल निकायों के विकास-रखरखाव, पार्क, खेल के मैदान, शौचालय, सामुदायिक भवन, भूमि संरक्षण, श्मशान घाट/कब्रिस्तान/कब्रिस्तान का निर्माण, खेल सुविधाएं, पुस्तकालय, सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था, मवेशियों की देखभाल इत्यादि के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा, सड़क चौड़ीकरण जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और भूमि अधिग्रहण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। मालूम हो कि हाल ही में राजस्व विभाग की ओर से डीडीए को ग्रामसभा क्षेत्र निधि के 959.89 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि हस्तांतरित की गई है। इस बैठक में आवासीय सहित आम लोगों से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इस दौरान विशेषकर आवसीय योजनाओं को मजूबती देने व नरेला सबसिटी के विकास से जुड़े कई निर्णयों को स्वीकृति दी गई। अथॉरिटी बैठक में जनहित से जुड़ी कई परियोजनाओं के मददेनजर लैंड यूज चेंज के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इनमें गाजीपुर में आरएफआईडी, ग्राम औचंदी में विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिए व जंगपुरा में आरआरटीएस की स्थापना से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को डीडीयू मार्ग में आवंटित लैंड के भूमि उपयोग में परिवर्तन को भी मंजूरी दे दी गई।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि डीडीए दिवाली विशेष आवास योजना 2023 के चरण II के तहत सेक्टर 19 बी और सेक्टर 14, द्वारका के बचे हुए फ्लैटों की ई-नीलामी का एक और दौर जल्दी से पूरा किया जाए। साथ ही नरेला सेक्टर ए1-ए4 में एमआइजी फ्लैट्स पर छूट की पेशकश दी जाएगी। इसके तहत आम जनता को 15% की छूट और केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% की छूट दी जाएगी। बैठक में डीडीए (हाउसिंग एस्टेट का प्रबंधन और निपटान) विनियम, 1968 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई। इससे डीडीए ने गैर-सरकारी,कानूनी संस्थाओं को भागीदारी की अनुमति दी है। दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या परिसर वाली कोई भी निजी संस्था अब आवासीय कर्मचारी क्वार्टर, छात्रावास आदि के रूप में उपयोग के लिए थोक में डीडीए के आवासीय फ्लैट खरीद सकती है। बैठक में उद्योगों के विकास से जुड़ा एक ओर बड़ा निर्णय लिया गया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
WEDNESDAY | FEBRUARY 7, 2024

Panel recommends penal provisions against dumping waste in water bodies

PIONEER NEWS SERVICE ■ NEW DELHI

As the issue of waste dumping into rivers, including the Yamuna, continues to pose a significant environmental challenge, a Parliamentary Committee has recommended that the Department of Water Resources develop norms that include penal provisions against citizens who engage in such activities.

In response to this pressing issue, infact, the National Green Tribunal (NGT) has already taken steps to address this issue by banning open defecation and waste dumping on the floodplains of the Yamuna river as well as imposing imposed an environment compensation or penalty of ?5,000 for those found violating these regulations. But these are hardly being implemented. In alignment with these efforts, the Standing Committee on Water Resources has urged the Department under the Ministry of Jal Shakti to collaborate with the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Their aim is to explore strategies for promoting organic farming along the river's course, with incentives provided to farmers to minimize the use of chemical fertilizers and pesticides.It's crucial that both regulatory measures and incentives for sustainable practices work hand in hand to address the multifaceted challenges facing river ecosystems. The suggestions came in view of the potential health hazards due to the use of fertilisers and pesticides in the floodplains of Yamuna.

In its 27th report 'Review of Upper Yamuna River Cleaning Projects up to Delhi and River Bed Management in Delhi' submitted in the Lok Sabha on Tuesday also flagged that no study has been conducted to assess the impact of construction and demolition debris, as well as bio-medical waste dumping on the health of river Yamuna.

It further stated that according to Delhi Development Authority's (DDA's) reply, a number of steps have been taken, such as deployment of security guards, installation of surveillance and issuing challans to prevent dumping.

The DDA noted that the number of challans issued has increased from one in the year 2018 to 610 in the year 2021, indicating the rise in instances of dumping of debris into Yamuna.

The committee stated that dumping of waste, construction material and bio-medical waste have the potential to obstruct the natural flow of water during intense precipitation and water may accumulate where it is not required and thus, may result in flash flood.

THE HINDU

NCM seeks report from Delhi govt. on mosque demolition

The National Commission for Minorities (NCM) took a suo motu cognisance of a news report on the demolition of a mosque in Mehrauli last month, believed to be over 600-years-old. The commission asked the Delhi Chief Secretary to submit a report on the matter by February 15. The Delhi Development Authority on January 30 carried out an "unannounced" demolition of the mosque, with officials citing the action as part of the agency's drive against encroachments. Following the demolition, the Delhi High Court had pulled up the urban body, seeking an explanation for their 'anti-encroachment' drive while addressing a plea by the Delhi Waqf Board.

millenniumpost
NEW DELHI | WEDNESDAY, 7 FEBRUARY, 2024

DDA approves housing schemes, proposals on change of land usage

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) approved Housing Schemes, along with proposals regarding change of land usage, and timeline extension during a meeting on Monday.

The Authority confirmed another round of e-Auction for flats from the Diwali Special Housing Scheme 2023 that have not been booked in the last round. Dwarka Sectors 19B and 14 will undergo the e-Auction, while MIG flats at Lok Nayak Puram will be offered through a First Come First Serve (FCFS) basis.

"DDA has allowed participation of non-governmental legal entities to purchase built up properties in bulk offered by it. Any private entity with a registered office or campus in Delhi-NCR region can now purchase residential flats of DDA in bulk for use as residential staff quarters, hostel, etc. Such a policy will enable the growth and development of private industrial, educational and other sectors in upcoming areas like Narela leading to the overall development of the city," they added.

7,205 sq metres of land at Ghazipur has been approved by the Authority to change its usage from 'Recreational' to "Transportation", with the purpose of easing traffic congestion.

Additionally, they have decided on the guidelines for utilising the Gaon Sabha Area Funds under Dilli Gramodaya Abhiyan (DGA) 2023.

According to the same, "The Project Evaluation Committee under CE (HQ), DDA will technically examine the proposals. The approved projects shall be uploaded on the website to avoid duplication of projects. In order to ensure the quality of work, stringent provisions shall be included in the tender documents by the executing agencies. All works shall be subject to third party audit, and all works shall be geo-tagged."